

न्यायालय सिविल (अवर खण्ड), अनूपशहर, बुलन्दशहर।

मूल वाद संख्या 196 सन 2020

यू0पी0बी0यू0120008792020

प्रवीनबनाम.....लोकेन्द्र चौधरी आदि

16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थनापत्र 6सी2 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 6सी2 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6सी2

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 6सी2 दाखिल कर कथन किया है कि बैनामा जो कि बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5930 के पृष्ठ सं0 293 से 310 तक क्रमांक 1218 पर दिनांक 20.02.2019 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर पर पंजीकृत है जो कि विवादित है जिसे वादपत्र में इससे आगे विवादित बैनामा के नाम से जाना जायेगा। विवादित बैनामा में अंकित खेत नं0 84स रकवा 1.4660 है0 में से रकवा 0.037 है0 स्थित ग्राम मौजपुर परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर का वादी मालिक व काबिज है जिसे वादपत्र में इससे आगे विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। दिनांक12/13-06-2016 की रात्रि को वादी छत से गिर गया था जिससे उसकी टांग में फ्रैक्चर आया था जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, पैसे की तुरन्त इलाज के लिए आवश्यकता थी, वादी के भाई प्रेमवीर ने प्रतिवादी नं02 से रुपयों के लिए कहा तो उन्होंने रुपये देने के लिए कह दिया, प्रतिवादी नं02 नेवादी के भाई से दिनांक 15.06.2016 को एग्रीमेन्ट करालिया। रुपये की और आवश्यकता हुई तो वादी की माताजी ने दिनांक 17.08.2017को अपने हिस्से की भूमि का एग्रीमेन्ट कर दिया तथा इलाज के लिए और आवश्यकता होने पर वादी ने अपने पिता की भूमि का दिनांक 26.02.2018 को एग्रीमेन्ट कर दिया। वादी के भाई पर 1,00,000/- रुपया आया था वादी पर 1,20,000/- रुपये आया था तथा वादी की माताजी पर 1,00,000/- रुपया आया था, 1,40,000/-रुपया वादी की माताजी के खाते में ट्रान्सफर कर दिया गया था, बाद में प्रतिवादी नं02 ने कहा किअब यातो रुपये दे दो या फिर भूमि का बैनामा मेरे हक में कर दो, रुपया मैं धीरे धीरे 30 जून 2020 तक अदा करन दूंगा, कुल सौदा 3,00,000/- रुपये में हो गया था, 4,60,000/-रुपया वादी व वादी के भाई एवं वादी की माताजी पर आ चुका था, यह भी तय हो गया था कि 30 जून 2020 तक पूरा रुपया अदा करने के बाद कब्जा भूमि पर दिया जाना था, प्रतिवादी नं02 ने 1,19,000/-रुपये वादी एवं माताजी के शामिल खाते में लोन अदा करने हेतु जमा कर दिया था, इसके अलावा कोई रुपया वादी व वादी के भाई व वादी की माताजी पर नहीं आया है प्रतिवादी नं02 ने वादी के भाई से दिनांक 01.09.2018 को वादी से 24.01.2019 को तथा 20.02.2019 को तथा वादी की माताजी से 25.03.2019 को बैनामा करा लिया है, बैनामा प्रतिवादी नं02 ने अपने पुत्र प्रतिवादी नं01 लोकेन्द्र चौधरी के हक में कराया है वादी व वादी के भाई एवं वादीकी माताजी के कुल 24,21,000/- रुपये प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष पर बाकी है, प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष भूमि पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वादी एवं वादी के भाई एवं वादी की माताजी ने अपने रुपये मांगे तो प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष ने दिनांक 06.08.2020 को रुपये देने से मना कर दिया इस तरह से प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष, वादी व वादी के भाई एवं वादी की माताजी के 24,21,000/-रुपये नहीं दे रहे हैं, प्रतिवादी नं01 प्रतिवादी नं02 अमरपाल सिंही आपस में साज किये हुए हैं झगडा फसाद करने को आमादा है, वादी एवंवादीके भाई एवं वादी की माताजी को गन्दी गन्दी गालियां दे चुके हैं तथा जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। अतः याचना की है कि दौरान वाद अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश

इस आशय का पारित किया जावे कि प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष विवादित भूमि जिसका कि विवरण वादपत्र की धारा नम्बर 2 में अंकित किया गया है, पर वादी के शान्तिपूर्ण अधिपत्य में प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष स्वयं या अन्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6सी2 के विरुद्ध आपत्ति 21सी2 दाखिल कर कथन किया है कि वादी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ उपरोक्त वाद योजित करने का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है दावा वादी असत्य बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है अतः खारिज होने योग्य है जिसके आधार पर वादी कोई वाद कालिग अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। दरखास्त 6ग2 मान्य नहीं है अतः निरस्त होने योग्य है। वादी वादग्रस्त भूमि के अपने अंश का विक्रय प्रतिवादी नं01 को कर चुका है अतः वादी वादग्रस्त भूमि का मालिक नहीं है एवं वादी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है इसलिए वादी का प्रथमदृष्टि में कोई वाद नहीं बनता है। वाद का सुविधा सन्तुलन होने के कारण प्रतिवादी नं01 के पक्ष में है। वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से वादी प्रतिवादी नं0 1 की भूमि छीन लेगा अतः प्रतिवादी नं0 1 की अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि दरखास्त 6ग2 खारिज होने से वादी का कोई नुकसार नहीं होगा। दरखास्त 6ग2 हर आईने काबिले इखराज है एवं मय हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है। अतः याचना की गयी है कि उपरोक्त आपत्ति के आधार पर दरखास्त 6ग2 निरस्त किया जाये।

वादीगण की ओर से सूची 11सी1 से बैनामा सत्य प्रति ग्राम मौजपुर 12सी1/1 ता 12सी1/10, खतौनी 13सी1/1 ता 13सी1/3, खसरा 14सी1 दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु न्यायालय को तीन विन्दुओं पर विचार करना होता है—

1. **प्रथमदृष्ट्या मामला,**
2. **सुविधा का सन्तुलन,**
3. **अपूर्णनीय क्षति**

वादी द्वारा कथन किया गया है कि वह विवादित बैनामा दिनांक 20.02.2019 के आधार पर बैनामा में अंकित भूमि खाता संख्या 84म रकवा 1.4660 है0 में से रकवा 0.037 है0 का मालिक काबिज है। वादी को इलाज की जरूरत थी इसलिए प्रतिवादी सं02 ने वादी के भाई से दिनांक 15.06.2016 को एग्रीमेन्ट करा लिया फिर वादी की माता ने तथा वादी ने भी अपने अपने हिस्से की भूमि का एग्रीमेन्ट कर दिया। प्रतिवादी सं02 ने धोखा देकर पूर्ण धनराशि दिये बिना वादी एवं उसकी माता से बैनामे करा लिये तथा वादी के मांगने पर पैसा नहीं दिये। इस प्रकार उक्त बैनामे निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 12सी1 बैनामा की सत्यापित प्रति दाखिल की है जिसमें वादी द्वारा विवादित भूमि 84म में रकवा 0.037 है0 का बैनामा प्रतिवादी सं01 के पक्ष में किया है। 13सी1 विवादित भूमि क्रमांक की खतौनी दाखिल की गयी है, जिसमे बैनामे के आधार पर प्रतिवादी सं01 का नाम दर्ज हो चुका है।

प्रतिवादी सं01 द्वारा आपत्ति इस आधार पर की गयी है कि वादी द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके प्रतिवादी सं01 के सपक्ष में बैनामा किया गया है। बैनामा पंजीकृत एवं वैधानिक रूप से किया गया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र 6सी2 निरस्त किये जाने योग्य है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए न्यायालय को वादी के पक्ष में

प्रथमदृष्टया मामला देखना होता है। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि विवादित बैनामा दिनांक 20.09.2020 के आधार पर विवादित भूमि में वादी के स्वामित्व का हस्तान्तरण प्रतिवादी सं01 के पक्ष में हो चुका है। वादी ने उक्त बैनामा को निरस्त कराये जाने का मुख्य अनुतोष याचित किया है तथा विवादित भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से याचित किया गया है।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रश्नगत बैनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसके वास्तविक होने की उपधारणा न्यायालय द्वारा की जाती है। वादी ने उक्त बैनामे को धोखे के आधार पर होना बताया है। वादी द्वारा लिये गये आधार पत्रावली में साक्ष्य आने के उपरान्त ही निर्धारित हो सकते हैं। प्रश्नगत बैनामा विधिक रूप से सही है अथवा वैधानिक रूप से शून्य है। इस प्रश्न का निर्धारण वास्तव में साक्ष्यों के परिशीलन से गुणदोष के आधार पर किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के स्तर पर न्यायालय मिनी ट्रायल नहीं कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत मामले में विवादित भूमि पर स्वामित्व बजरिये बैनामा प्रतिवादी सं01 का हो चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादी सं01 का नाम दर्ज है। अतः वादी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है। यह स्थापित नियम है कि यदि वादी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है तब अस्थायी निषेधाज्ञा के अन्य दोनों विन्दु सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विचार किया जाना औचित्यहीन है। न्यायालय के मत में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6सी2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6सी2 निरस्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते वादविन्दु विरचन हेतु दिनांक 06.07.2023 को पेश हो।

दिनांक 16.04.2023

(योगेश शिवा),
सिविल जज (जूनियर डिवीजन),
अनूपशहर, बुलन्दशहर।

